न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 10.10.2023

दाखा देवी पत्नि गोपी जाति ब्राहमण निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 26.08.2020 वाके ग्राम ढिकोलिया तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति —(1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 07.02.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिनांक 26.08.2020 को मृतक खातेदार शिवप्रकाश पुत्र गोपी जाति ब्राहमण निवासी ढिकोलिया तहसील उनियारा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 859 को मृतक शिवप्रकाश के वारिसान की पुनः जांच कर दर्ज कराने की टिप्पणी के साथ नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त।प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक शिवप्रकाश पुत्र गोपी के स्थान पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जाना न्यायोचित है। आराजी खसरा नम्बर 1143, 1145,1171, 1172,1173,1184,1190,1200,1202,1262,1283,1284 मे हिस्सा 1 / 7, खसरा नम्बर 438,439 हिस्सा 1 / 14,खसरा नम्बर 237,238 हिस्सा 1 / 4 ग्राम ढिकोलिया तहसील उनियारा अपीलांट के पुत्र शिवप्रसाद पुत्र गोपी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट के पुत्र का देहान्त दिनाक 12.02.2019 को हो चुका है। वह अविवाहित था तथा उसके कोई वारिसान पत्नि या संतान वगैरहा नही थी,मृतक की वारिसान स्वंय उसकी माता अपीलांट दांखा देवी है जो उसकी एक मात्र वारिस तथा उत्तराधिकारी है। प्रथम क्षैणी की वारिस होने से उसके नाम दर्ज हिस्से की भूमि

जिला कलक्टर
टोंक

को अपने नाम अंकित करवाने की भी अधिकारी है। पटवारी ने शिवप्रकाश की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष मे भरकर प्रस्तुत किया था,परन्तु बिना किसी विधिक कारण के अपीलांट के विरूध टिप्पणी करते हुए तथा अपीलांट के अलावा मृतक खातेदार का कोई वारिस या उत्तराधिकारी नही होते हुऐ भी तहसीलदारर ने नामान्तकरण अस्वीकार कर दिया है,जबकि नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष मे स्वीकार योग्य है। पटवारी हल्का ने सर्व–प्रथम नामान्तकरण को ग्राम पंचायत ढिकोलिया के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था,परन्तु काफी समय होने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा समय पर नामान्तकरण का निस्तारण नही करने के कारण नामान्तकरण को तहसीलदार के समक्ष भिजवा गया,जिस पर तहसीलदार ने पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नामान्तकरण को अस्वीकार किया गया है। मृतक के वारिसान के रूप मे अपीलांट ही वारिस है। अपीलांट अत्यन्त वृद्व,ग्रामीण महिला है। अपीलांट मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। अतः नामान्तकरण को अपीलांट के पक्ष मे बहाल रखा जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 859 दिनांक 26.08.2020 पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे मृतक शिवप्रकाश की फोती का नामा. उसकी मॉ दाखा के नाम भरकर स्वीकृति हेतु दिनांक 12.06.2020 को प्रस्तुत करने व भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.06.2020 मे अकंन सही होना का उल्लेख करने के उपरान्त उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत ढिकोलिया के समक्ष प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.07.2020 को आयोजित पाक्षिक बैठक मे लिये गये निर्णय अनुसार आगामी बैठक मे पेश किये जाने का उल्लेख किया है। नामान्तकरण पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिनांक 27.07.2020 को वारिसान की पुनः जांच कर पेश करने का नोट अंकित किया है,जिसके कम मे पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.08.2020 मे वारिसान की सही जानकारी नही होने के कारण नामा.खारिज योग्य होने की रिपोर्ट अंकित की है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.08.2020 मे पटवारी हल्का कि रिपोर्ट अनुसार नामा. खारिज योग्य है का उल्लेख किया है। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा उक्त नामा. दिनांक 26.08.2020 को पटवारी रिपोर्ट व जांच भू–अभिलेख निरीक्षक के अनुसार अस्वीकृत किया है। अतः नायब तहसीलदार बनेठा का आदेश दिनाक 26.08.2020 को निरस्त कर पुनःवारिसान की जांच करवाये जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 26.08.2020 वाके ग्राम ढिकोलिया तहसील उनियारा में शिवप्रकाश पुत्र गोपी जाति ब्राहमण सा. ढिकोलिया खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण शिवप्रकाश के वारिस दाखा पत्नि गोपी जाति ब्राहमण निवासी ढिकोलिया खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के उपरान्त नायब तहसीलदार बनेठा ने दिनांक 26.08.2020 को उक्त नामान्तकरण पर वारिसान की पुनः जांच कर दर्ज करने का आदेश पारित करते हुये उक्त नामान्तकरण को अस्वीकार किया गया है।

नामान्तकरण परत पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे वारिसान की सही जानकारी नही होने का नोट अकित किया है। राजकीय

जिला कलेक्टर
दौसा

पेरोकार ने भी अपनी बहस मे नायब तहसीलदार बनेठा का आदेश दिनांक 26.08.2020 को निरस्त कर पुनः वारिसान की जांच करवाये जाना न्यायोचित माना है। उपरोक्त विवेचन से नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 26.08.2020 वाके ग्राम ढिकोलिया तहसील उनियारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर तथा मृतक के वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोक
जिला कलेक्टर
टोंक